सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मासिक समाचार पत्र

अंक - 41 अक्तूबर, 2014

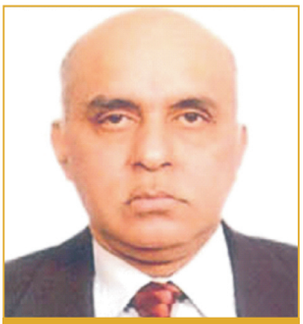

श्री नवेद मसूद,
सचिव का.क.मं.

सचिव की कलम से

ये त्यौहारों का मौसम अपने साथ हर्षोल्लास के साथ बढ़ती हुई उम्मीदें और एक नया व्यापार उत्साह लेकर आता है। अंतर्राष्ट्रीय एंजेसियों ने प्रभावी नीतियों के माध्यम से आर्थिक पुनरूद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत की सराहना की है। आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उच्चतर वृद्धि अनुमानित की है जो वर्तमान वर्ष के लिए 5.6% और आगामी वर्ष के लिए 6.4% है। वर्तमान लेखा घाटे (सीएडी) में कमी, महगांई पर नियंत्रण, सरकारी खर्च को तर्कसंगत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता और सब्सिडी सुधार ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके कारण निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

डब्ल्यूपीआई आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले 5 वर्षों सितंबर, 2014 में सबसे कम अर्थात् 2.38% तक घट गई और सीपीआई-मुद्रास्फीति 6.46% तक गिरी जो वर्ष 2009 से अब तक सबसे कम है। कम मुद्रास्फीति और साथ ही कच्चे तेल के मूल्यों में कमी ने आरबीआई को अपनी नीति दरें संशोधित करने के लिए प्रेरित किया। व्यापार उत्तर की ओर देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में अधिक नीति सुधार करने से वृद्धि दर और बढ़ेगी।

अवस्थापना सुधारों का मुख्य केन्द्र बिन्दु ऊर्जा क्षेत्र रहा है। डीजल मूल्यों में ढील से बेहतर सब्सिडी प्रबंधन में मदद मिलेगी। भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि से संभावनाओं में निवेश आकर्षित होने की आशा है। कोल ब्लॉक की ई-नीलामी को अनुमति देने का भी निर्णय किया गया है ताकि विद्युत क्षेत्र में आपूर्ति संबंधी अवरोधन का संतोषजनक समाधान किया जा सकें। कारपोरेट क्षेत्र के अलावा लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यमों, जिन्हें विद्युत के वैकल्पिक साधन उपल्बध नहीं है, आने वाले समय में इसका लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने अप्रेंटिसशिप स्कीम को पुनः तैयार करके 'अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना' शुरू की है जिसमें उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्ति की 50% प्रतिपूर्ति के प्रावधान के साथ बढ़ाई गई वृत्ति में 20 लाख से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। यह प्रयास जनसांख्यिकी लाभांश से लाभ उठाने का एक प्रयास है और 'मेक इन इंडिया' अभियान के एक भाग के रूप में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है। भारत के युवाओं को दक्षता देने और पुनः प्रशिक्षित करने से उत्पादकता मे वृद्धि होने के साथ-साथ समग्र विकास भी हो सकेगा।

मेरे मंत्रालय में यह पाया गया है कि ऐसी लगभग 1.67 लाख कंपनियां हैं जिन्होंने मंत्रालय को अपने निदेशकों के हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरे (डीआईएन) उपलब्ध नहीं कराए हैं। एक विशेष प्रयास के रूप में हमने कंपनियो को अपने निदेशकों के हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरे एमसीए21 प्रणाली पर अद्यतन करने की अनुमति दी है ताकि वे अपने विलंबित वार्षिक सांविधिक दस्तावेज फाइल कर सकें।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रारंभ से ही वार्षिक सांविधिक फाइलिगं एक दिन में 1,00,000 की संख्या पहले से ही पार कर चुकी है। मैं कंपनियों से अनुरोध करता हू कि वे अंतिम समय की व्यस्तता और प्रणाली में अवरोध से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले अपने तुलन पत्र और वार्षिक रिटर्न दाखिल करें। अक्तूबर और नवंबर 2014 के व्यस्तम फाइलिंग अवधि के दौरान कारपोरेट सेवा केंद्र हेल्प डेस्क (दूरभाष संख्या 0124-4832500) तुलन पत्र और वार्षिक रिटर्न की फाइलिंग संबंधी प्रश्नों को प्राथमिकता देंगे।

"ये त्यौहारों का मौसम अपने साथ हर्षोल्लास के साथ बढ़ती हुई उम्मीदें और एक नया व्यापार उत्साह लेकर आता है। अंतर्राष्ट्रीय एंजेसियों ने प्रभावी नीतियों के माध्यम से आर्थिक पुनरूद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत की सराहना की है।"

चार नए ई-प्ररूप शुरू करनाः कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सितंबर, 2014 में चार नए ई-प्ररूप शुरू किए है और दो वर्तमान ई-प्ररूपों में संशोधन किया है। शुरू किए गए नए ई-प्ररूप एमजीटी-10 (प्रवर्तकों और उच्चतम 10 शेयरधारकों की शेयरधारण स्थिति मे परिवर्तन), डीपीटी-4 (अधिनियम लागू होने के समय मौजूद जमा राशि संबंधी विवरण), डीआईआर-3सी (कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार डीआईएन सेवाओं को निदेशक पहचान संख्या सूचित करना) और एडीटी-3 (लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र की सूचना) हैं। संशोधित ई-प्ररूप डीआईआर-3 (निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन) और डीआईआर-6 (निदेशक के ब्यौरों में परिवर्तन की सूचना केंद्र सरकार को देना) हैं। ई-प्ररूप फाइल करने के सरलीकरण हेतु ई-प्ररूप डीआईआर-3 और डीआईआ'-6 के साथ शपथपत्र सलंग्न करने की अपेक्षा हटा दी गई है। अब ई-प्ररूप डीआईआर-4 और डीआईआ'-7 में शपथपत्र को घोषणापत्र में बदल दिया गया है और इन्हें क्रमशः डीआईआर-3 और डीआईआर-6 में विलय कर दिया गया है। तद्नुसार, ई-प्ररूप डीआईआर-4 और डीआईआर-7 समाप्त कर दिए गए है।

हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरें अद्यतन करने का अवसरः रजिस्ट्री में ऐसी लगभग 1.67 लाख कंपनियां है जिन्होंने अपने निदेशकों के हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरें उपलब्ध नहीं कराए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पक्षकारकों की सुविधा के लिए इन कंपनियों को 30.06.2007 से पहले निदेशकों की नियुक्ति के प्रमाण के साथ कंपनी रजिस्टारों से संपर्क करके एमसीए21 प्रणाली पर अपने निदेशकों के हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरें अद्यतन करने की अनुमति दी गई है। 30.06.2007 के बाद नियुक्त निदेशक ई-प्ररूप डीआईआर-12 फाइल करके अपने हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरे अद्यतन कर सकते हैं। इससे सभी निदेशक रजिस्टारो को अपने विलंबित वार्षिक दस्तावेज फाइल कर सकेंगे और कंपनी रजिस्टारों को डीआईआर-3सी द्वारा डीआईएन भी सूचित कर सकेंगे।

डीआईएन के आबंटन के लिए ई-प्ररूप का सरलीकरणः कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हताएं) संशोधन नियम, 2014 जारी किए है जिनके द्वारा निदेशक पहचान संख्या डीआईएन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ई-प्ररूप को सरल किया गया है। ये इस प्रकार हैः- (i) स्वतंत्र निदेशकों के पद के लिए आवेदकों को आयकर पैन, पति/पत्नी का नाम और माता का नाम प्रकट करने से छूट दी गई है। ई-प्ररूप डीआईआर-3 सब्मिट करने पर अंतरिम डीआईएन की बजाए आवेदन संख्या मिलेगी; (ii) ऐसे सभी निदेशक जिन्हें 30.06.2007 से पहले नियुक्त किया गया था परंतु उन्होंने संबंधित कंपनियो को अपने डीआईएन सूचित नही किए है, को अब एक महीने के अंदर कंपनी को डीआईएन सूचित करना होगा; और फिर ये कंपनियां, कंपनी रजिस्ट्रार को डीआईएन सूचित करेंगी। हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरे/डीआईएन अद्यतन करने की सुविधा के लिए कृपया पहले के पैरा/समाचार देखें।

ई-प्ररूपों की पुनरीक्षा के लिए समितिः कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ई-प्ररूपों के सरलीकरण, इसकी फाइलिगं प्रक्रिया और संलग्नकों की अपेक्षा को सरल बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। यह समिति ई-प्ररूपों की फाइलिंग में सरलीकरण और पक्षकारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देगी।

विदेशी नागरिकों के लिए प्रभार दस्तावेज फाइल करने के लिए पैन की अपेक्षा में छूट देनाः कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रभार दस्तावेज फाइल करते समय विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करने की अपेक्षा में छूट दी है।

गोवा राज्य के लिए संशोधित स्टांप शुल्क दरों का कार्यान्वयनः कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने गोवा राज्य के लिए एमसीए21 प्रणाली पर संशोधित स्टांप शुल्क दरें उपलब्ध कराई हैं। कंपनियों का निगमन होने के दौरान और अन्य विभिन्न दस्तावेजों के समय राज्य सरकारो द्वारा स्टांप शुल्क लिया जाता है।

'राष्ट्रीय लेखांकन मानक संबंधी सलाहकार समिति' का गठनः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन का प्रावधान है जो लेखांकन और लेखा परीक्षा मानक तैयार करेगा और उनकी निगरानी करेगा तथापि यह धारा अभी अधिसूचित की जानी है। यह धारा अधिसूचित होने तक ये कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क के अंतर्गत 'राष्ट्रीय लेखांकन मानक संबंधी सलाहकार समिति' (एनएसीएएस) द्वारा किए जाने हैं। **दिनांक 18.09.2014 के सां.का.2425 (अ)** द्वारा सरकार ने श्री अमरजीत चोपड़ा की अध्यक्षता में एनएसीएएस का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष और अन्य 12 सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा एनएफआरए का गठन होने, इनमें जो पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।

'सरकारी कंपनी' पर स्पष्टीकरणः- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और सरकारी कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षा मानकों का प्रावधान है। और अधिक स्पष्टता लाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय नें **दिनांक 04.09.2014 के सा.आ.226 (अ)** द्वारा स्पष्ट किया है विन 'सरकरी कंपनी' में केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली कंपनियां शामिल हैं।

कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय पर स्पष्टीकरणः कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 12.09.2014 के **सा.का.नि. 644(अ)** द्वारा कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीएसआर कार्मिकों की क्षमता निर्माण सहित प्रशासनिक अतिरिक्त व्यय पर खर्च को स्वीकृत करने और उच्चतम मूल्य निर्धारित करने के लिए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 में संशोधन किया है। फलस्वरूप, दिनांक 18.06.2014 के सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 द्वारा कंपनियों द्वारा सीएसआर स्टाफ को भुगतान की जाने वाले वेतन पर जारी पूर्व के स्पष्टीकरण को हटा दिया गया। **(सामान्य परिपत्र सं. 36/2014)**

गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड में नए सदस्यों की नियुक्तिः श्री नरेन्द्र कुमार भोला, क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र) कारपोरेट कार्य मंत्रालय को **दिनांक 15.09.2014 की अधिसूचना सा.का.नि. 645 (अ)** द्वारा लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम,1959 की धारा 29क के तहत स्थापित गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत गठित बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्यों की सेवा की गुणवत्ता को देखते हैं और इस संबंध में परामर्श देते हैं।

निवेशक संरक्षण और जागरूकताः

क. सितंबर, 2014 के दौरान तीन व्यवसायिक संस्थानों (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट संस्थान, भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के सहयोग से देश के विभिन्न कस्बों/शहरों में 256 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ख. सितंबर, 2014 के अंत तक 3189 कंपनियों ने उनके पास निवेशकों की अदत्त एवं अदावी राशि (शेयर आवेदन रूपए, लाभांश, डिबेंचर, जमा आदि) के बारे में सूचना वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर अपलोड की है। यह वेबसाइट कंपनियों के पिछले सात या सात से कम वर्षों की निवेशकों की अदत्त एवं अदावी राशि, जो अभी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित होनी है, विवरण दायर करने के लिए बनायी गई है जिससे निवेशक कंपनी से अपने कथित रूपए का फिर से दावा कर सकें। सितंबर, 2014 के अंत तक कंपनियों द्वारा बतायी गई कुल राशि 3901.88 करोड़ रूपए है।

कारपोरेट क्षेत्र की पुनरीक्षाः

क. दिनांक 30.09.2014 तक 14.23 लाख कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हुईं । इनमें से 2.60 लाख कंपनियां बंद कर दी गई और 27,378 कंपनियां बंद करने की प्रक्रिया में है। 1.41 लाख कंपनियों ने लगातार तीन से अधिक वर्षों तक अपनी वार्षिक विवरणी/तुलन-पत्र (अर्थात् वार्षिक सांविधिक फाइलिग) नहीं भरी हैं। दूसरे शब्दों में 9.92 लाख सक्रिय कंपनियां हैं जिसमें 1.26 लाख कंपनियां शामिल हैं जो पूर्ववर्ती अठारह माह में निगमित की गई थीं (वार्षिक सांविधिक फाइलिंग के लिए बकाया नहीं)।

(ख) सितंबर, 2014 के दौरान 1,831.3 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 269 एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) सहित कुल 6,864 कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत हुई। नई निगमित कंपनियों का वर्गवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः

कंपनी का प्रकार	सितंबर, 2014 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या	कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रूपए मे)
(1)	(2)	(3)
शेयर के आधार पर लि. कंपनिया	**6822**	**1831.03**
जिनमें से (क) निजी	6688	892.43
जिनमें से, एक व्यक्ति कंपनियां	*269*	*5.15*
(ख) सार्वजनिक	134	938.60
गारंटी के आधार पर लि. कंपनियां	**38**	**0.12**
जिनमें से (क) निजी	33	0.12
(ख) सार्वजनिक	5	0.00
अनलिमिटेड कंपनियां (निजी)	**4**	**0.17**
जिनमें से (क) निजी	4	0.17
(ख) सार्वजनिक	0	0.00
कुल	**6864**	**1831.32**

(ग) शेयर द्वारा सीमित आधार पर पंजीकृत लिमिटेड कंपनियों के वर्ग के तहत, अधिकतम संख्या में पंजीकरण दिल्ली में (1,175) हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र (1,062) तथा उत्तर प्रदेश (606) का नाम आता है। आर्थिक गतिविधि के आधार पर अधिकतम संख्या में कंपनियां (2,994) बिजनेंस सर्विसीज़ (सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास) के तहत पंजीकृत की गई।

(घ) सितंबर, 2014 के दौरान, चार राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) तथा एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) को 375.55 करोड रूपए के प्राधिकृत पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया । निगमित एसएलपीई निम्नलिखित हैः

1. तेलंगाना राज्य औद्योगिक संरचना निगम लिमिटेड, तेलंगाना; **2.** तेलंगाना राज्य व्यापार संवर्धन निगम लिमिटेड, तेलंगाना; **3.** नया रायपुर जन परिवहन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ तथा **4.** असम खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, असम, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आईआर सीओएनपीबी टोलवे लिमिटेड को सीपीएसयू के रूप में शामिल किया गया। कारपोरेट क्षेत्र में विकास के बारे में अधिक सांख्यिकीय ब्यौरों के लिए, पाठक कृपया कारपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक सूचना बुलेटिन, mca.gov.in/ministryV2/InformationBulletin.html देखें।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मुख्य गतिविधियों में उपस्थितिः

1. 18.09.2014 को 'सामूहिक निवेश योजना के नियमन की प्रभावकारिता, चिट निधि इत्यादि' के संदर्भ में वित्त मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति की बैठक में श्री नावेद मसूद सचिव, एमसीए, श्री एम.जे.जोसेफ, अपर सचिव, एमसीए तथा श्री अमरदीप सिंह भाटिया संयुक्त सचिव एमसीए ने भाग लिया।

2. 26.09.2014 को श्री नावेद मसूद, सचिव, एमसीए ने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के बोर्ड ऑफ गर्वनेंस की बैठक की अध्यक्षता की।

3. 23.09.2014 को श्री नावेद मसूद, सचिव एमसीए तथा श्री यू.के.सिन्हा, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के कारण उठने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मुलाकात की।

4. 16.09.2014 को श्री नावेद मसूद, सचिव एमसीए ने 'रूग्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनर्गठन तंत्र को सरल एवं कारगर बनाने' के संदर्भ में सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में भाग लिया।

5. 04.09.2014 को श्री टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों नें 'उद्यमी अनुकूल कानूनी दिवालियापन रूपरेखा संबंधी समिति' की बैठक में भाग लिया। इस समिति को वित्त मंत्रालय द्वारा दिवालिया कंपनियों के तेजी से समापन तथा आसानी से बाहर निकलने के लिए पहल प्रयासों की सिफारिश के लिए गठित किया गया था।

6. 04.10.2014 को आयोजित कंपनी सचिव दिवस के 'विशिष्ट अतिथी' श्री एम.जे.जोसेफ, अपर सचिव, एमसीए थे।

7. श्री नवरंग सैनी, निदेशक (निरीक्षण एवं जांच) ने सितंबर, 9-12, 2014 के दौरान लंदन में विश्व बैंक तथा यू के सरकार बेहतर विनियमन प्रदायगी कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगठित 'व्यापार तथा निवेश की बाधाओं को तोड़ना' पर हुई वार्षिक व्यापार निरीक्षण सुधार सम्मेलन में भाग लिया।

सीसीआई की मुख्य गतिविधियांः

1. सितंबर 8-10,2014 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग,रूस में हुए वार्षिक अतंराष्ट्रीय रूस प्रतिस्पर्धा दिवस, 2014 में श्री अशोक चावला, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भाग लिया।

2. श्री अशोक चावला, अध्यक्ष ने 26.09.2014 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को तथा केंद्रीय प्रतिस्पर्धा विधि सेवा के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को संबोधित किया।

3. 19.09.2014 को सीसीआई में प्रतिस्पर्धा विधि तथा क्षेत्र नियामकों के साथ इटंरफेस' पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आईआरडीए,एईआरए,सेबी,पीएनजीआरबी तथा सीईआरसी के सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया।

4. 17.09.2014 को श्री गजेन्द्र हलदिया ने ''विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुद्दों'' पर बारहवीं ''डिस्टीगुईश्ड् विज़िटर नौलेज शेयरिंग सिरिज़'' में भाषण दिया।

Design | Print | chandupress@gmail.com

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in